तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06-02-2019	आज अधिवक्ता वादिगण श्री पूराराम व श्री मिश्रीलाल वादिगण जमना बेवा पूराराम, हिरजी, देवाराम व रामाराम पि० पूराराम उपस्थित। प्रति० सं० श्री रूपसिंह व 4 आसूराम मय अधिवक्ता प्रति० श्री देवेन्द्र व्यास उपस्थित। वादी पूराराम व मिश्रीलाल वादिगण जमना बेवा पूराराम, हिरजी, देवाराम व रामाराम पि० पूराराम की ओर से अधिवक्ता वादिगण श्री सुरेन्द्र कुमार आसोपा तथा जमना पत्नी पूराराम ने प्रा० पत्र वाद विड्रोवल अन्त वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादिगण व प्रतिवादिगण के बीच गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाइस से राजीनामा हो गया है अब वादी एवं प्रतिवादिगण अन्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, क्यों कि वाद के चलने से आपसी दुश्मनी बढ़ेगी एवं पशुधारक को रखने हेतु भी नुकसान उठाना पड़ेगा एवं पशुधारक के बीच में भी किसी प्रकार का कोई मिलाप नहीं रहा है। विवादित आराजी का राजीनामा प्रतिवादी रूपाराम बेवट पुत्र रूपासिंह के हक में दि० 09-07-2009 को कसूराम द्वारा तहरीर कर तबदील किया जा चुका है। जो भी लेनदेन दोनों पक्षों में तय था, आपस में पशुधारक के मध्य में हो चुका है। एवं पूराराम के विपक्ष वादिगण जमना एवं ज्यादातर में हाजिर है, शेष वादी हिरजी, देवाराम व रामाराम की ओर से एवं उनकी माता जमना देवी वाद विड्रोवल कर रही है। इस प्रकार वादिगण का अन्त वाद अधिवक्ता वादिगण मय वादिगण जमना ने प्रा० पत्र पेश कर विड्रोवल स्वीकार किया जाने की इल्तजा की है।

अतः वादिगण का अन्त वाद अधिवक्ता वादिगण एवं वादिका जमना द्वारा प्रस्तुत हस्ब अन्त प्रा० पत्र आदेश विड्रोवल स्वीकार किया जाता है। उक्त पत्र पत्रावली में स्थित किया जावें। पत्रावली मिसल कुमार होकर नस्ती हो। वाद लम्बित जाकर लाजिम खर्चा लेकर मामला जमाहो।

Sd/-
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner